

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड

जनपद- नैनीताल

पत्रांक संख्या- 12 / 2025-26

दिनांक- 14/05/2025

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- रविश रावत
02. पिता/पति का नाम- स्व० श्री उत्तर सिंह रावत
03. पदनाम- फार्मसी अधिकारी
04. नियुक्ति का प्रकार- नियमित
05. वर्तमान तैनाती का स्थान- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अखलढूंगा, नैनीताल
06. वर्तमान तैनाती की तिथि- 30/12/2009
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	<u>रा० आ० चि० अखलढूंगा</u>	<u>30/12/2009</u>	<u>वर्तमान तक दुर्गम</u>	
2.	<u>नैनीताल</u>			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
 ☐ अनुरोध
 ☒ दुर्गम से सुगम
 ☐ स्थानान्तरण से छूट
 ☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
 ☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 ☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| ○ गंभीर रोग
ग्रस्त/विकलांग | ○ मानसिक
रूप से
विक्षिप्त
बच्चों के
माता-पिता | ○ पुत्र/पुत्री
की
विकलांगता | ○ उत्तराखण्ड
सरकार में
कार्यरत
पति-पत्नी | ○ विधुर/विधवा/
तलाकशुदा/वरिष्ठ
कार्मिक |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
- दुर्गम से दुर्गम ○ सुगम से
दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	राज० स्त्री० चिकि०, कटापत्थर, देहरादून	सुगम
2	राज० आयु० चिकि०, भाजनीग्राम, देहरादून	सुगम
3	राज० आयु० चिकि०, बुल्लावाला, देहरादून	सुगम
4	राज० आयु० चिकि०, जस्सीवाला, देहरादून	सुगम
5	राज० स्त्री० चि०, कीटिसतसपुर, देहरादून	सुगम
6	राज० आयु० चिकि०, नयूवावाला, देहरादून	सुगम
7	राज० आयु० चिकि०, भौगपुर, हरिद्वार	सुगम
8	राज० आयु० चिकि०, भगवानपुर, हरिद्वार	सुगम
9	राज० आयु० चिकि०, सिकरीडा, हरिद्वार	सुगम
10	राज० आयु० चिकि०, रामनगर, उधमसिंहपुर	सुगम

नोट:- भविष्य यदि ऐसा स्थानान्तरण उक्त 10 विकल्पों में नहीं मिलता/दिता है तो इसे यथावत रहने दिया जाय।

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाइट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर- 
नाम- राकेश रावत
पदनाम- फार्मसी अधिकारी

12	13		14	15
Signature of Head of the Office or other Attesting officer	Leave		Signature of Head of the Office or other Attesting officer	Reference to any recorded punishment or censure or reward or praise of a Govt. servant
	A	B		
	Nature & duration of leave taken	Allocation of periods of leave on full pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government		
कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	छुट्टी की किस्म व अवधि	(a) Period	कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	दूसरे कर्मचारी के किसी अभिलिखित दण्ड प्रतिदिन या पारितोषित या प्रशंसा का निर्देश
		(b) Govt. to which debitable		
		चार महीने तक की पूर्ण वेतन पर छुट्टी की अवधि का बटवारा जिसके लिये छुट्टी का वेतन किसी दूसरी सरकार को विकल्पनीय हो।		
1-2019 Bill U. O. INITIAL	ML 11 11	(क) अवधि	15 नवंबर 2019 DAVO NTL	1672-2
		(ख) सरकार जिसे विकल्पनीय हो		
		9-10-19 to 19-10-19 20-10-19 to 20-10-19		
4-20 U. O. INITIAL	M.L 50	18-8-20 to 15-10-20	कार्यालय आदेश सं - 1201-1202 दिनांक — 07/10/2020 DAVO NTL	2

D. A. U. D.

Principal, Haldwani

कार्यालय
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

संख्या-2449-51 व्य0प0/2024-25/

दिनांक-28-11-24

आदेश

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-2 खण्ड -2 से 4 के मूल नियम 81 बी एवं सहायक नियम 157 ए में निहित प्राविधानान्तर्गत श्री राकेश रावत फार्मसी अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलढूंगा नैनीताल द्वारा प्रस्तुत उपार्जित अवकाश आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2024 के अनुक्रम में एतद्वारा श्री राकेश रावत फार्मसी अधिकारी को दिनांक 02.12.2024 से 01.01.2025 कुल 31 दिवसीय उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश रावत फार्मसी अधिकारी उक्त अवकाश पर न गये होते तो अपने पद पर बने रहते।

उक्त अवकाश स्वीकृत के उपरान्त श्री राकेश रावत फार्मसी अधिकारी के उपार्जित अवकाश लेखे में कुल 300 दिवस का उपार्जित अवकाश अवशेष रहेगा।

(डा० महेन्द्र सिंह गुन्जियाल)
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
- ✓ 02. प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलढूंगा।
03. श्री राकेश रावत फार्मसी अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि आप उक्त अवकाश से पूर्व नियमानुसार कार्यभार हस्तान्तरण के प्रमाणक कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
04. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली।


जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
नैनीताल स्थित हल्द्वानी।